भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1350

(दिनांक 14.12.2022 को उत्तर के लिए)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में जनशक्ति का अभाव

1350. श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सामना की जा रही जनशक्ति की कमी की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) सीबीआई में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र और राज्य के जांच अभिकरणों के बीच समन्वय में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : दिनांक 30.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार, सीबीआई में कार्मिकों की संस्वीकृत संख्या 7295 है तथा रिक्त पदों की संख्या 1673 है जिनमें दिनांक 29.06.2022 के आदेश के माध्यम से जारी किए गए विभिन्न श्रेणियों में संस्वीकृत 128 पद शामिल हैं।

रिक्तियों का उत्पन्न होना तथा उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। अधिकारियों के प्रवेश, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति और प्रत्यावर्तन के आधार पर यह संख्या बदलती रहती है। इन रिक्तियों को प्रवृत्त भर्ती नियमों/अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भरा जाता है।

(ख) : सभी रैंकों की रिक्तियों का शीघ्र भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं, यथा:

(i) सीबीआई में वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों के प्रवेश के प्रस्ताव दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम (डीएसपीई), 1946 की धारा 4(ग)(1) के तहत गठित समिति के समक्ष रखे जाते हैं।

(ii) विभिन्न रैंकों में प्रतिनियुक्ति कोटा के तहत रिक्तियों को भरे जाने के लिए रैंकों से संबंधित भर्ती नियमों (आरआर) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। विभिन्न राजपत्रित और गैर-राजपत्रित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु परिपत्र/विज्ञापन जारी/प्रकाशित किए जाते हैं।

(iii) सीबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, गृह मंत्रालय सहित विभिन्न संगठनों से सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) तथा निरीक्षक के पदों हेतु नाम प्रायोजित करने के लिए अनुरोध करता है।

(iv) सीबीआई में विभिन्न तकनीकी रैंकों में उपयुक्त अधिकारियों के प्रवेश के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को प्रस्ताव भेजे जाते हैं।

(v) सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ)/राज्य पुलिस/बैंक इत्यादि से सीबीआई में प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों/कार्मिकों का नामांकन भेजे जाने का नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है।

(vi) सीधी भर्ती कोटा के तहत पदों जैसे विधि अधिकारी अर्थात पीपी/एपीपी, उप-निरीक्षक, एलडीसी और आशुलिपिकों, को भरने के लिए भर्ती अभिकरणों अर्थात यूपीएससी/एसएससी से डौजियरों की मांग की जाती है।

(vii) पदोन्नति कोटा के तहत विभिन्न रैंकों में अधिकारियों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

(ग) : सीबीआई अपना कानूनी प्राधिकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन(डीएसपीई) अधिनियम, 1946 और दंड प्रक्रिया संहिता से प्राप्त करता है। यह एक स्पष्ट और सुस्थापित कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचे के भीतर कार्य करता है। डीएसपीई अधिनियम के प्रावधान प्राथमिक रूप से संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होते हैं तथा राज्यों तक केवल उनकी सहमति से विस्तारित होते हैं।

डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 5 में निहित प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार, डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के द्वारा संबंधित राज्य सरकार की सहमति से उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किन्हीं अपराधों अथवा अपराधों की श्रेणियों की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार को उस राज्य में किसी भी क्षेत्र तक विस्तारित कर सकती है।

*****